

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-228/2024

गुरविन्द्र सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र मघर सिंह जाति जट सिख साकिन वार्ड न. 03 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मघर सिंह पुत्र तिलोक सिंह जाति जट सिख साकिन मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. बलजिन्द्र सिंह सिधू पुत्र मघर सिंह जाति जट सिख साकिन मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

वादीगण की ओर से श्री सदाम हुसैन अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरुक अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए इकबालदावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है- प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज तहसील पीलीबंगा के चक 27 एस. टी. जी के खाता स. 57/52 के प.न. 35/319 ( 51 ) के किला न. 11/1/.228, 11/2/.025, 12 ता 19, 20/1/.228, 20/2/.025 की 2.530 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मु. रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड को वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बरानी / गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 13/05/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई कलक्टर एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा)  
उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा